भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अधिसूचना
NOTIFICATION

हैदराबाद, ……………., 2023

Hyderabad, ……………, 2023.

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (First Amendment) Regulations, 2023

फा. सं. भाबीविविप्रा / विनि. / 3 / .... / 2023

F. No. IRDAI / Reg / 3 /............./ 2023

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (जेडडी) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14(2) (ङ) और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 का संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है

In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section2 of section 114A of Insurance Act, 1938, section 14(2) (e) and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ / Short Title and commencement**:

1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2023 कहलाएँगे।

These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2023

1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

These Regulations may come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

उद्‌देश्य / Objective:

2. इन विनियमों का उद्‌देश्य भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 का संशोधन करना है।

   The objectives of these Regulations are to amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021

3. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

   Unless the context otherwise requires -

क) विनियम 4, उप-विनियम 1, खंड (iv) में, शब्द "सभी विज्ञापनों का एक नमूना तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अनुरक्षित करेंगे" के पहले, शब्द "प्रत्याहरण की तारीख से" रखे जाएँगे।

a) In Regulation 4, sub regulation 1, clause (iv), the wording "maintain a specimen of all advertisements for a minimum period of three years" shall be followed with the wording, "from the date of withdrawal".

ख) विनियम 4, उप-विनियम 1 में, खंड (v) छोड़ दिया गया है।

b) In Regulation 4, sub regulation 1, clause (v) stands omitted.

ग) विनियम 7, उप-विनियम 1 में, शब्दावली से पहले शब्द "समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार" रखे जाएँगे।

c) In Regulation 7, sub regulation 1, the wording shall be followed with "as per the guidelines issued from time to time."

घ) विनियम 11, उप-विनियम (2) में, शब्द "उसी संस्था के द्वारा अधिनिर्णय के अगले संस्करण की घोषणा तक" को "अधिकतम 24 महीने तक, यदि अधिनिर्णय के अगले संस्करण की घोषणा नहीं की गई हो" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

d) In Regulation 11, sub regulation (2) the wording " till the announcement of next edition of award by the same entity." substituted as "maximum 24 months, if the next edition of award is not announced."

ङ) विनियम-11, उप-विनियम (3) में, शब्द "ऐसी रेटिंग अथवा अधिनिर्णय का स्रोत उस वर्ष के साथ जिसमें ऐसी रेटिंग अथवा अधिनिर्णय प्राप्त किया गया हो, ऐसे विज्ञापनों में सुस्पष्ट और सुपाठ्य रूप में प्रकट किया जाएगा" के बाद शब्द "रेटिंग अथवा अधिनिर्णय का वर्ष पिछले 2 वित्तीय वर्षों तक सीमित किया जाएगा" रखे जाएँगे।

e) In Regulation-11, sub regulation (3) the wording "Source of such rating or award including year in which such rating or award is received shall be disclosed conspicuously and legibly in such advertisements" shall be followed by the wording, "Year of rating or award shall be restricted to last 2 Financial years".

(देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष / DEBASISH PANDA, Chairperson)

(विज्ञापन / ADVT. -////2023-24)